



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-15.04.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर में लड़ाई-झगडा करने के मामले से सम्बन्धित प्रत्येक अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 1500-1500/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत एन0सी0आर0 नं0-45/14 धारा 323,504 भा0द0वि0 से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- दीपक तिवारी पुत्र हरिनाथ तिवारी, 02- रिक्की तिवारी उर्फ रिंकू तिवारी पुत्र हरिनाथ तिवारी व 03- बट्टी तिवारी पुत्र बैजनाथ तिवारी निवासीगण- गाडर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-15.04.2025 को माननीय न्यायालय ACJM-I जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक अभियुक्त 01-दीपक तिवारी, 02-रिक्की तिवारी उर्फ रिंकू तिवारी व 03-बट्टी तिवारी को अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 में 1000-1000/- रु0 के अर्थदण्ड से तथा धारा 504 भा0द0वि0 में 500-500/- रु0 के अर्थदण्ड से व न्यायालय उठने तक की सजा से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।